



सत्यमेव जयते

(सभा की बैठक में सदस्यों के व्यवहारार्थ कटीती प्रस्ताव)

बिहार विधान सभा सचिवालय

(सप्तदश बिहार विधान सभा के चतुर्दश सत्र)

फरवरी-मार्च, 2025 की कार्यसूची

(खण्ड-08)

दिनांक- 20 मार्च, 2025

माँग संख्या - 20

आय-व्ययक शीर्षक - स्वास्थ्य विभाग

108. प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "स्वास्थ्य विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 20035,80,00,000/- (बीस हजार पैंतीस करोड़ अस्सी लाख) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

109. श्री अजीत शर्मा प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक के मुख्य शीर्ष-2211, उप मुख्य शीर्ष-00 के लिए 2872,43,82,000/- रुपये की माँग 5,00,00,000/- रुपये से घटायी जाय।

मितव्ययिता पर विचार-विमर्श करने के लिए।

- 110.-114. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, श्री अख्तरूल ईमान, श्री अजय कुमार सिंह, श्री संतोष कुमार मिश्र एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की स्वास्थ्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-01

आय-व्ययक शीर्षक - कृषि विभाग

115. प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "कृषि विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 3528,22,41,000/- (तीन हजार पाँच सौ अठाईस करोड़ बाईस लाख इकतालीस हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 116-118. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, श्री अख्तरूल ईमान एवं श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की कृषि नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-51

आय-व्ययक शीर्षक - समाज कल्याण विभाग

119. प्रभारी मंत्री, समाज कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "समाज कल्याण विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 8774,62,72,000/- (आठ हजार सात सौ चौहत्तर करोड़ बासठ लाख बहत्तर हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

120. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की समाज कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-39

आय-व्ययक शीर्षक - आपदा प्रबंधन विभाग

121. प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "आपदा प्रबंधन विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 9233,95,38,000/- (नौ हजार दो सौ तैंतीस करोड़ पंचानवे लाख अड़तीस हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-32

आय-व्ययक शीर्षक - विधान मंडल

122. प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "विधान मंडल" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 312,37,81,000/- (तीन सौ बारह करोड़ सैंतीस लाख इक्यासी हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

ख्याति सिंह

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

कटौती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायेगा।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2025-

605

/वि०स०, पटना, दिनांक- 18 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:-बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्य मंत्रीगण / अन्य मंत्रीगण/ सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के सभी विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(असीम कुमार)

निदेशक,

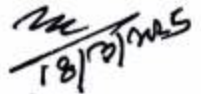
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2025-

605

/वि०स०, पटना, दिनांक- 18 मार्च, 2025 ई० ।

प्रति:- निदेशक, अध्यक्षीय कार्यालय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।



(असीम कुमार)

निदेशक,

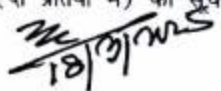
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2025-

605

/वि०स०, पटना, दिनांक- 18 मार्च, 2025 ई० ।

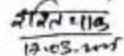
प्रति:- सूचना शाखा / विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा, बिहार विधान सभा (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



(असीम कुमार)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।


18-03-2025